# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 36–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022 (PHALGUNA 9, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

**Notification**

The 28th February, 2022

**No. 2-HLA of 2022/ 11/3979.—** The Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

**Bill No. 2-HLA of 2022**

**THE HARYANA PROHIBITION OF CHANGE OF PUBLIC UTILITIES BILL, 2022**

**A**

**BILL**

*to prohibit disturbing or changing of public utility and claiming such land to the exclusion of public rights and use in the State of Haryana and for matter connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title, commencement and application.

**1.** (1) This Act may be called the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Act, 2022.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

(3) It shall be applicable in respect of public utilities which are in existence for twenty years or more as on the appointed day.

Definitions.

**2.** In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Collector" means the Collector of a revenue district and includes the Deputy Commissioner or any other officer specially designated by the State Government to perform the functions of a Collector under this Act;

(b) "Commissioner" means the Divisional Commissioner of a revenue division and includes any other officer specially designated by the State Government to perform the functions of a Commissioner under this Act;

(c) "Financial Commissioner" means an officer appointed by the State Government and includes any other officer specially designated by the State Government to perform the functions of a Financial Commissioner under this Act;

(d) "public utility" includes roads, paths, canals, drains, embankment, any structure, water/irrigation channels, public health works, public institutions, building and any other facility which is used or has been used by the public or for the public benefit, whether on payment of charges or otherwise by the State Government, which exists on any land of any individual, company, society, partnership firm, trust etc;

(e) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department.

Prohibition of disturbing or changing public utility.

**3.** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, instrument, custom, usage, judgment, decree or order of any Court or other authority, no person including individual, company, society, partnership firm, trust etc. shall be entitled to disturb, change or demolish any public utility over any land of any private person, individual, company, society, partnership firm, trust etc. to the detriment of the public interest or use, which are or were in public use or in existence for the benefit of public, nor any such person shall claim such public utility to the exclusion of the rights and benefits of the public.

(2) If any person disturbs, changes, demolishes or obstructs any public utility then the Collector either suo moto or on receiving information on such interference in the public utility may direct the restoration of such public utility to its original condition after providing an opportunity of being heard and may recover the cost incurred in respect of such restoration as arrears of land revenue from such person.

(3) Any person aggrieved by the order passed by the Collector under sub-section (2), may file an appeal before the Commissioner within thirty days of the date of the order.

(4) Any person aggrieved by an order of the Commissioner under sub-section (3), may file a revision petition before the Financial Commissioner within thirty days from the date of the order. The order of the Financial Commissioner shall be final.

Punishment for disturbing, changing public utility.

**4.** Whoever violates the provisions of section 3, shall be punishable with the imprisonment for a term upto six months or with a fine which shall not be less than two thousand rupees and more than ten thousand rupees or both.

No claim for damges or compensation.

**5.** No person shall be entitled to claim any damages or compensation in lieu of prohibition or restrictions contained in this Act.

Preparation of record of rights.

**6.** The Collector shall cause to enter or prepare record of such public utility and public rights by giving note of such public utility in the record of rights in appropriate column of such record.

Bar of jurisdiction.

**7.** No Civil Court shall have the jurisdiction to entertain any suit relating to matters falling under this Act or the rules made thereunder.

Power to remove difficulties.

**8.** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

Protection of action taken in good faith.

**9.** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

Power to make rules.

**10.** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

Over a period of time, public utilities in the form of roads, path, canals, drains, embankment, any structure, water/irrigation channels, Public Health works, public institutions, buildings etc. have come up on the lands belonging to individuals/entities. This was due to generosity of the individuals in the form of oral agreement or oral gifts etc. for enhancing the potential and value of the land, as also creating a potential of its use. Ultimately, this has benefitted the individuals in particular and the public at large, besides ensuring harmonious development of the State in general. Even individuals had themselves allowed the public use of land without any objection for a long period and they have acquiesced in the use of land as public utility land and further, they by their act and conduct allowed such land to become public utility land involving the rights and interest of the public in general. In such circumstances, keeping in view the public interest, the Government or concerned authorities, have spent public money to maintain and develop such public utilities for the benefit of the public as well as such persons or individuals who allowed the use of their land as public utility. However, with the passage of time and enhancement in the value of lands, individuals entities have started either disturbing such public utility by seeking the restoration of the land or by claiming their rights in the land to the exclusion of aforesaid public rights of public utility or the detriment of the public interest. Even some of such public utilities are existing before Reorganization Act and there are practical problems to trace the origin of public utility. The State Government due to all this, is facing enormous difficulties in terms of disruption of road connectivity, water supply and various other administrative problems and such disruptions and disturbance of public utility involve huge financial loss of public money as well as various difficulties to the public in general. Therefore, in public interest, it is necessary to bring law in this regard.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

---

Chandigarh:
The 28th February, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Under Section 10 of the bill the power has been delegated to the Government to make rules under this Act. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rules 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business of the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

-------------------

*[प्राधिकृत अनुवाद]*

**2022 का विधेयक संख्या 2 एच.एल.ए.**

**हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2022**

**हरियाणा राज्य में लोकोपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन करने तथा लोकाधिकार तथा उपयोग के अपवर्जन हेतु ऐसी भूमि के दावे का प्रतिषेध करने हेतु तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामले के लिए**

**विधेयक**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

**1.** (1) यह अधिनियम हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) यह उन लोकोपयोगिताओं के सम्बन्ध में लागू होगा, जो नियत दिन को बीस वर्ष या उससे अधिक समय से अस्तित्व में हों।

परिभाषाएं।

**2.** इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कलक्टर" से अभिप्राय है, किसी राजस्व जिले का कलक्टर तथा इसमें उपायुक्त अथवा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है;

(ख) "आयुक्त" से अभिप्राय है, किसी राजस्व मण्डल का मण्डल आयुक्त तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के कृत्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है;

(ग) "वित्तायुक्त" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन वित्तायुक्त के कृत्यों का पालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है;

(घ) "लोकोपयोगिता" में शामिल हैं, सड़कें, रास्ते, नहरें, नालियां, तटबंध, कोई संरचना, जल/सिंचाई प्रणालियां, जन स्वास्थ्य संकर्म, लोक संस्थाएं, भवन तथा कोई अन्य सुविधा, जो चाहे राज्य सरकार द्वारा प्रभारों के भुगतान पर या अन्यथा से जनसाधारण द्वारा या जनसाधारण के लाभ के लिए उपयोग की जाती है या की गई है, जो किसी वैयक्तिक, कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, न्यास इत्यादि की किसी भूमि पर विद्यमान हो;

(ड.) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

लोकोपयोगिता में विघ्न डालने अथवा परिवर्तन का प्रतिषेध।

**3.** (1) किसी विधि, लिखत, प्रथा, रिवाज या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के न्यायनिर्णय, डिक्री अथवा आदेश में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वैयक्तिक, कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, न्यास इत्यादि सहित कोई भी व्यक्ति, लोकहित या उपयोग, जो जनसाधारण के लाभ के लिए लोकोपयोग में या अस्तित्व में हैं या थे, के अहित के लिए किसी निजी व्यक्ति, वैयक्तिक, कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, न्यास इत्यादि की किसी भूमि पर किसी लोकोपयोगिता में विघ्न डालने, परिवर्तन करने या को नष्ट करने के लिए हकदार नहीं होगा और न ही ऐसा कोई व्यक्ति, लोकाधिकार तथा लाभ के अपवर्जन हेतु ऐसी लोकोपयोगिता का दावा करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी लोकोपयोगिता में विघ्न डालता है, परिवर्तन करता है, नष्ट करता है या बाधा डालता है, तो कलक्टर या तो स्वप्रेरणा से या लोकोपयोगिता में ऐसी दखलअंदाजी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसी लोकोपयोगिता को उसकी मूल अवस्था में जीर्णोद्धार के निदेश दे सकता है तथा ऐसे जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में उपगत लागत की वसूली भू–राजस्व के बकायों के रूप में ऐसे व्यक्ति से कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर आयुक्त के सम्मुख अपील दायर कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर वित्तायुक्त के सम्मुख पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है। वित्तायुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

लोकोपयोगिता में विघ्न डालने, परिवर्तन करने के लिए दण्ड।

**4.** जो कोई भी धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह छह मास तक की अवधि के कारावास या जुर्माने, जो दो हजार रुपये से कम तथा दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

क्षतियों या मुआवजों के लिए दावे का न होना।

**5.** कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम में दिए गए प्रतिषेधों अथवा निर्बन्धनों के बदले में किन्हीं क्षतियों या मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

अधिकार अभिलेख तैयार करना।

**6.** कलक्टर, ऐसे अभिलेख के समुचित खाने में अधिकार अभिलेख में ऐसी लोकोपयोगिता का टिप्पण देते हुए ऐसी लोकोपयोगिता तथा लोकाधिकार अभिलेख दर्ज करवाएगा या तैयार करवाएगा।

अधिकारिता का वर्जन।

**7.** किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले मामलों से सम्बन्धित किसी वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

कठिनाईयां दूर करने की शाक्ति।

**8.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

**9.** इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

**10.** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हरेक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

## उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

कुछ समय से सड़कें, रास्ते, नहरें, नालियां, तटबंध, किसी भी संरचना, जल/सिंचाई चैनल, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य, सार्वजनिक संस्थानों की, इमारतें आदि सार्वजनिक उपायोगिताएं व्यक्तियों/संस्थाओं की भूमि पर स्थापित हो गई हैं। ऐसा व्यक्तिों की उदारता, जो मौखिक समझौते या उपहार के रूप में जिससे उनकी भूमि की कीमत एवं क्षमता को बढ़ाने के लिए थी, के कारण हुआ था। आखिरकार इससे व्यक्तियों को विशेष रूप से तथा जनता को आमतौर पर लाभ हुआ है, इसके अतिरिक्त इससे आम तौर पर राज्य के सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने में लाभ हुआ है। यहां तक कि व्यक्तियों ने स्वंय को लम्बी अवधि के लिए किसी भी आपत्ति के बिना जमीन के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दी और उन्होंने जमीन के उपयोग में सार्वजनिक उपयोगिता को अधिग्रहण कर लिया है और आगे उनके कार्य और आचरण से इस तरह की भूमि सार्वजनिक भूमि बनने की अनुमति देती है जो आमतौर पर जनता के हित में ऐसी परिस्थितयों में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार या सम्बंधित अधिकारियों ने जनता के लाभ के लिए ऐसी सार्वजनिक उपयोगिताओं को बनाए रखने और विकसित करने के लिए सार्वजनिक धन खर्च किया है जिसे ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐसी भूमि पर उसका उपयोग करने की अनुमति दी है। समय के साथ भूमि के मूल्य व क्षमता में वृद्वि होने के साथ व्यक्तियों की संस्थाओं ने भूमि की बहाली की मांग करके या सार्वजनिक उपयोगिता के उपरोक्त सार्वजनिक अधिकारों को छोड़ने के लिए भूमि में अपने अधिकारों का दावा करके ऐसी सार्वजनिक उपयोगिता को अस्त–व्यस्त या हितों का नुकसान करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि ऐसी कुछ सार्वजनिक उपयोगिताएं पुनर्गठन अधिनियम के बनने से पहले ही मौजूद हैं और ऐसी सार्वजनिक उपयोगिता की आपत्ति का पता लगाने में काफी व्यवहारिक समस्याएं हैं। राज्य सरकार को इन सभी कारणों से सड़क कनेक्टीविटी, जल आपूर्ती और विभिन्न अन्य प्रशासनिक समस्याओं में व्यवधान और सार्वजनिक उपयोगिता में परेशानी और भारी कठिनाइओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे सार्वजनिक धन के नुकसान के साथ–साथ सामान्य रूप से आम जनता को भी कठिनाइओं का सामना करना भी शामिल है। इसलिए सार्वजनिक हित में इस सम्बंध में कानून लाना आवश्यक है।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्यमंत्री, हरियाणा।

---

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 फरवरी, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

## विधान के हस्तांतरण के सम्बंध में ज्ञापन

इस विधेयक की धारा 10 के तहत इस अधिनियम के नियम बनाने की शक्तियां सरकार को सौंपी गई हैं। अतः हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 126 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान के सम्बंध में ज्ञापन संलग्न है।

---

9503—H.V.S.—H.G.P. Pkl.